



## प्रेस नोट थाना जहानाबाद फतेहपुर

थाना जहानाबाद पुलिस टीम द्वारा गौ हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त हाफिज पुत्र अफसर अली निवासी चन्दीपुर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 45 वर्ष मु0अ0सं0 80/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर व मु0अ0सं0 81/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट 01 नफर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड मे 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे का चापड़ व एक अदद लकड़ी ठीहा के साथ गिरफ्तार किया ।

**संक्षिप्त विवरण-** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री अभिमन्यु मांगलिक महोदय, जनपद फतेहपुर के द्वारा अपराध व अपराधियों व वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिन्दकी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह थाना जहानाबाद फतेहपुर मय टीम के साथ चैकिंग के दौरान मु0अ0सं0 80/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर मे वांछित अभियुक्त हाफिज पुत्र अफसर अली निवासी चन्दीपुर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 45 वर्ष को पुलिस मुठभेड के दौरान 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे का चापड़ व एक अदद लकड़ी ठीहा के साथ दिनांक 26.05.2026 समय 01.27 बजे ग्राम चन्दीपुर से करीब 200 मी0 पूर्व ग्राम निरखी रोड पर वहद ग्राम चन्दीपुर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया । पुलिस मुठभेड व गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जहानाबाद पर मु0अ0सं0 81/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को मय माल के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

### अभियुक्त का नाम पता-

हाफिज पुत्र अफसर अली निवासी चन्दीपुर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 45 वर्ष

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 80/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 81/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

### बरामदगी -

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अदद लोहे का चापड़ व एक अदद लकड़ी ठीहा

### गिरफ्तारी का स्थान

दिनांक 26.05.26 समय 01.27 बजे ग्राम चन्दीपुर से करीब 200 मी0 पूर्व ग्राम निरखी रोड पर वहद ग्राम चन्दीपुर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त हाफिज मु0अ0सं0 80/26 धारा 3/5/8 गो वध अधि0 से सम्बन्धित द्वारा बताया गया कि साहब मै और मेरा साथी अजमेरी नि0 मो0 काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद फतेहपुर के साथ मिल कर गाय काट मांस को बेचते है कल रात्रि को हम लोगो ने मिलकर चन्दीपुर नहर के किनारे खेत मे एक बबूल के पेड के नीचे एक गाय को काटा था तभी दूर से एक ट्यूबेल के पास से टार्च की रोशनी आयी तो हम लोग कटी गाय छोड कर भाग गये तथा मेरा साथी अजमेरी पुत्र बाबू कुरैशी निवासी मोहल्ला काजीटोला कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर के साथ मिल कर हम लोग गाय को काट कर उसके मांस को बेचते है ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम -I

1. थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
2. व0उ0नि0 संजय कुमार यादव थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
3. उ0नि0 प्रवीण यादव थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
4. उ0नि0 विकास कनौजिया थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
5. उ0नि0 मनोज कुमार यादव थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
6. उ0नि0 नीरज कुमार थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
7. का0 आशीष तोमर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
8. का0 सुनील राव थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
9. का0 कृष्णचन्द्र शिवहरे थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
10. का0 प्रबल यादव थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

(मनीष कुमार सिंह)  
थानाध्यक्ष  
थाना जहानाबाद  
जनपद फतेहपुर